संख्या 1783/नौ-6-2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

विषयः स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर पंचायत) के अकेन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-841/नौ-6-2021 दिनांक-15.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर पंचायत) के अकेन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान समय से किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन/उपादान स्वीकृत में हुये विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0 (ए)-12045/2023 कोमल प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 03 अन्य में दिनांक 03.08.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसके कार्यकारी अंश का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः-

'' The State Government also cannot wash off their hands in the matter of providing adequate funds to the Nagar Palika to enable it to pay off its employees, particularly, their post retiral benefits. In the circumstances, let a personal affidavit be filed by the Principal Secretary, Local Bodies, Government of U.P., Lucknow within a week reporting necessary steps taken in the matter to bail out the Nagar Palika Parishad, Etah; at least to the extent, that they are able to pay off post retiral benefits and salaries to their existing staff/retired personnel. ''

3- उल्लेखनीय है कि शासन स्तर से बार-बार निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी शासन के संज्ञान में आया है कि स्थानीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान आदि स्वीकृत किये जाने से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है। ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण न होने के कारण सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिकाएं एवं अवमाननावाद योजित किये जा रहे है, जिससे शासन के समक्ष असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है।

4- इस संबंध में स्पष्ट करना है कि नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में कार्यरत अकेन्द्रीयत सेवा के

कार्मिकों के सेवानिवृत्त देयकों यथा पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान आदि का भुगतान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयत सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली 1984 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन प्रभावी है।

5- स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तक लाभों का भुगतान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश, नगर पालिका, अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त लाभ विनियमावली-1984 तथा उसमें समय-समय पर हुए संशोधन विषयक विनियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त लाभ विनियमावली 1984 के भाग छः के विनिमय-13(3) के अनुसार मण्डलायुक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन या उपादान स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

6- नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-1497/नौ-9-2023-92 ज/2020 दिनांक 04-08-2023 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में अवमुक्त धनराशि का सर्वप्रथम उपयोग निकाय के अधिष्ठान मद यथा निकाय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/भत्ते/पेंशन आदि के मद में सृजित देनदारियों के भुगतान के सापेक्ष किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के कार्मिक जो निकाय में कार्यरत हैं अथवा निकाय हेतु कार्य कर रहे है, उनके वेतन/मानदेय के भुगतान विलम्बित न हो और भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित हो सके।

7- नागर निकायों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय जैसे-राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग तथा स्थानीय निकाय को अपने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय का नियमानुसार विवेकपूर्ण ढ़ग से उपयोग किया जाय। इसके साथ ही नागर निकायों द्वारा अपने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को विवेकपूर्ण ढंग से बढ़ाये जाने का सार्थक प्रयास किया जाय, यदि संबंधित अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई सार्थक प्रयास नही किया जाता हैं, तब संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

8- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1984 यथा संशोधित विनियमावली 2006 एवं 2016, शासनादेश संख्या-841 /नौ-6-2021 दिनांक-15.03.2021 तथा शासनादेश सं0 1497/नौ-9-2023-92 ज/2020 दिनांक 04-08-2023 का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में यदि नागर निकायों (नगर पालिका/नगर पंचायत) में अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान को अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाता है, तो उसे गम्भीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

Digitally signed by अमृत अभिजात
Date: 17-10-2023 19:04:35

(अमृत अभिजात)
Approved
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार लखनऊ।

2-समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर पंचायत,उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।

4-प्रभारी अधिकारी, एन0 आई0 सी0 लखनऊ/कम्प्यूटर सेंल नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश, शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को नगर विकास विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5- नगर विकास अनुभाग-1/2/3/4/5/7/8/9/सूडा।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव।